


न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

आज्ञा - पत्र

उनवान..... सुमित बनाम..... दिलखुश

किस मुकदमा..... धारा - 225 (281-282) अपील संख्या..... 2025/258)

अभिभाषक अपीलांत..... श्री सुजाना राठौर अभिभाषक रैस्पोंडेंट.....

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
15.5.20	<p>पत्रावली पेश हुई। अति. अपीलांत एवं अपीलांत को रद्द-रद्द कर तीन-तीन बार कावाजे लगावायी गयी, फिर भी उसी क्रम से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। अति. अपीलांत द्वारा रैस्पोंडेंट को नोतिश सम्पन्न आदिनांत तक तामील नहीं ठरवाये गये। अतः पत्रावली अदालत गपरी एवं अदालत पैरवी में रवारित की जाती है। पत्रावली ईसल शुजात होत्र बाद तामील तामील दाखिल रफ्तार हो।</p> <p style="text-align: center;">(दीप्ति समचन्द्र मीना) भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा</p>	



न्यायालय- भू-प्रबंधक एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय, कोटा कैम्प
झालावाड़ राज0

सुमित पुत्र हंसराज उम्र 19 साल जाति धाकड़ निवासी डोबड़ा तहसील खानपुर
जिला झालावाड़ राज0

.....अपीलार्थी

बनाम

- 1-दिलखुश पुत्री गिरिराज पत्नी सत्यनारायण जाति धाकड़ निवासी कुराड़िया कलौ तहसील सांगोद जिला कोटा राज0
- 2-मीना पुत्री गिरिराज पत्नी महावीर जाति धाकड़ निवासी फालाहेड़ा तहसील कनवास जिला कोटा राज0
- 3-सञ्जु पुत्री गिरिराज पत्नी महावीर नागर जाति धाकड़ निवासी रावाराई तहसील छीपाबडौद जिला बांरा राज0
- 4-रामजानकीबाई पत्नी गिरिराज जाति धाकड़ निवासी कृषि उपज मण्डी के सामने बांरा रोड़ खानपुर जिला झालावाड़ राज0
- 5-राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार तहसील खानपुर जिला झालावाड़ राज0
.....रेस्पोंडेन्ट

अपील बनाराजगी निर्णय व आदेश दिनांक 07.05.25 न्यायालय उपखण्ड
अधिकारी महोदय, उपखण्ड खानपुर मिसल नं0 720/प्रार्थना पत्र/2024
ब-उनवान सुमित बनाम दिलखुश वगै0

मान्यवर,

प्रार्थी/अपीलार्थी निम्न निवेदन करता है, कि-

- 1-यह कि वाके ग्राम सूमर तहसील खानपुर जिला झालावाड़ राज0 में प्रार्थी के कब्जे काश्त एवं खाते की आराजी खाता संख्या नया 112 व पूराना 120 की खसरा नं0 837 की रकबा 4.0496 है0 स्थित है।
- 2-यह कि प्रार्थी काश्तकार व्यक्ति है, अपने बाप दादाओ के जमाने से कृषि कार्य कर अपना व अपने परिवार का पेट पालन करता आया है। कृषि कार्य ही आजीविका का मुख्य साधन है।
- 3-यह कि प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी पर आने जाने का रास्ता राजस्व रेकार्ड में दर्ज नहीं है। इस समय से पूर्व करीब करीब सभी काश्तकारो की आराजी भूमि खुली रहती थी, उस पर किसी भी प्रकार का
.....निर 2 पर

सुमित